



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 331 राँची, बुधवार, 8 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
29 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

29 फरवरी, 2024

डाक / ई-मेल

सं०सं०-04/नि०सं०-12-72/2014 का० 1551--श्रीमती ब्रजलता, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 200/20, गृह जिलापटना, बिहार), सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम सदर, पूर्वी सिंहभूम (तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची) द्वारा दिनांक 04.06.2016 से 29.08.2020 तक की अवधि को विनियमित करने का अनुरोध किया गया ।

2. श्रीमती ब्रजलता के अनधिकृत अवकाश अवधि दिनांक 03.06.2016 से 12.06.2018 तक तथा दिनांक 13.12.2018 से 30.08.2020 तक एवं पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत अवधि दिनांक 13.06.2018 से 12.12.2018 तक के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत है-

(i) श्रीमती ब्रजलता दिनांक 07.11.2014 से अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित थी ।

(ii) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 1910 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा श्रीमती ब्रजलता का पदस्थापन अंचल अधिकारी, मंडरो, साहेबगंज के पद पर किया गया ।

(iii) उक्त के आलोक श्रीमती ब्रजलता द्वारा दिनांक 03.06.2016 के पूर्वाहन में अंचल अधिकारी, कैरो, लोहरदगा का प्रभार त्याग किया गया ।

(iv) पुनः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के अधिसूचना संख्या 4377 दिनांक 04.08.2016 के द्वारा श्रीमती ब्रजलता का पदस्थापन अंचल अधिकारी, भंडार, लोहरदगा किया गया ।

(v) दिनांक 03.06.2016 से 12.06.2018 तक अनधिकृत अवकाश के उपरांत श्रीमती ब्रजलता द्वारा दिनांक 13.06.2018 को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग में योगदान किया गया ।

(vi) राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक 4351 दिनांक 24.10.2018 द्वारा श्रीमती ब्रजलता की सेवा कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग को वापस की गई ।

-उक्त के आलोक में श्रीमती ब्रजलता के द्वारा दिनांक 30.10.2018 को कार्मिक, प्र० सु० तथा राजभाषा विभाग में योगदान किया गया ।

(vii) विभागीय अधिसूचना संख्या 9023 दिनांक 12.12.2018 के द्वारा श्रीमती ब्रजलता का पदस्थापन कार्यपालक दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पद पर किया गया। अधिसूचित पद पर श्रीमती ब्रजलता द्वारा योगदान नहीं किया गया ।

(viii) विभागीय अधिसूचना संख्या 4239 दिनांक 28.08.2020 द्वारा श्रीमती ब्रजलता का पदस्थापन कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर, राँची के पद पर किया गया ।

(ix) उक्त के आलोक में श्रीमती ब्रजलता द्वारा दिनांक 31.08.2020 के पूर्वाहन में कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर राँची का प्रभार ग्रहण किया गया ।

(x) अधिसूचित पदों पर योगदान नहीं करने, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने संबंधी आरोपों की जांच हेतु विभागीय संकल्प सं० 472 दिनांक 24.01.2020 द्वारा श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई ।

(xi) उक्त के आलोक में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प संख्या 18386(HRMS) दिनांक 05.12.2022 द्वारा श्रीमती ब्रजलता के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम- 14 (iv) के अन्तर्गत सेवा सम्पुष्टि की तिथि से एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड अधिरोपित किया गया ।

3. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्रीमती ब्रजलता झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक 200/20, गृह जिला- पटना, बिहार), तत्कालीन कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सम्प्रति कार्यपालक दण्डाधिकारी, धालभूम सदर (पूर्वी सिंहभूम) के अनधिकृत अवकाश अवधि दिनांक 03.06.2016 से 12.06.2018 तक (कुल 740 दिन) तथा दिनांक 13.12.2018 से 30.08.2020 तक (कुल 627 दिन) को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 180 बी के तहत असाधारण अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ब्रह्मदेव मोदी,

सरकार के संयुक्त सचिव ।
